प्राईवेट सर्विस व्हीकल परमिट

प्राईवेट सर्विस व्हीकल से आशय ऐसे मोटर वाहन से है जो ड्राईवर सहित 7 से अधिक बैठक क्षमता वाला है जिसका उपयोग उसके स्वामी द्वारा अपने व्यवसाय या कारोबार के लिए या उसके संबंध में व्यक्तियों को लाने ले जाने हेतु किया जाता है, किन्तु भाड़े या पारिश्रमिक के लिए वो इसका उपयोग नहीं करेगा।

प्ररूप आर.एस. 5.6 में निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करते हुए संबंधित प्राधिकारी को आवेदन किया जायेगा :–

1. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 के अनुसार वर्णित निवास स्थान के पते का प्रमाण,
2. जहाँ परमिट का आरक्षण हो तो सक्षम प्राधिकारी से अनुसूचित जाति/जनजाति होने का प्रमाण–पत्र,
3. सूचना के लिए अपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा,
4. कर चुकता रिपोर्ट,
5. वाहन के वैध बीमा की प्रति,
6. फिटनेस प्रमाण–पत्र की प्रति,
7. पंजीयन पुस्तिका की प्रति,
8. नियमानुसार देय फीस

अधिकृत् प्राधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रपत्रों की आवश्यक जाँच के पश्चात् प्ररूप आर.एस. 5.14 में परमिट जारी कर दिया जायेगा।

प्ररूप आर.एस. 5.6

निजी (प्राइवेट) सेवा यान के सम्बन्ध में परमिट के लिए आवेदन

सेवा में–प्रादेशिक/राज्य परिवहन प्राधिकारी ....

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 69 और 76 के उपबन्धों के अनुसार, मैं, निम्न हस्ताक्षरकर्ता, एतद्द्वारा उस अधिनियम की धारा 66 के अधीन एक निजी सेवा यान, जैसा यहां नीचे वर्णित है, के लिए परमिट के लिए आवेदन करता हूं।

1. (i) आवेदक (कों) का पूरा नाम (उपनाम सहित, यदि कोई हो) (ii) आयु ....
2. आवेदक की प्रास्थिति–व्यक्तिगत, कम्पनी या भागीदार फर्म, सहकारी–समिति आदि।
3. पिता या पति का नाम व्यक्ति के मामले में, फर्म या कम्पनी के मामले में प्रबन्ध–भागीदार या प्रबन्ध–निदेशक का विवरण।
4. पूरा पता–(व्यक्ति के मामले में राशन कार्ड, बिजली के बिल की सत्यापित प्रति आदि से या अन्य किसी मान्य दस्तावेजी प्रमाण से परिवहन–अधिकारी का समाधान करते हुए और कम्पनी या फर्म के मामले में मेमोरेंडम ऑफ एशोसिएशन (ज्ञापन) या भागीदारी–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा प्रमाणित)
5. क्या आवेदक (i) अनुसूचित जाति (ii) अनुसूचित जनजाति का है? (प्रमाण या दस्तावेजी साक्ष्य दीजिये।)
6. मार्ग या मार्गों जिन पर या क्षेत्र जिसमें यान का उपयोग करना चाहा गया है ....
7. यानों का प्रकार और बैठक क्षमता–

यान सं.	प्रकार	बैठक क्षमता	रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
1	2	3	4

टिप्पणी–(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अधिकारी को प्रस्तुत किये जायें, ताकि रजिस्ट्रीकरण चिन्ह परमिट देने से पहले परमिट में अंकित किये जा सकें।

(2) यदि आवेदक बड़ी संख्या में यानों से सम्बन्धित हैं, तो एक अलग अनुसूची उसी प्ररूप (फार्म) के साथ संलग्न की जा सकेगीं

8 आवेदकों के व्यापार (बिजनैस) का स्वरूप ....

9 वहन किये जाने वाले व्यक्तियों का विवरण और उनके वहन की शर्तें ....

10 मैं/हम कैश रसीद/चालान सं. .... (दि. ....) रूपये .... के लिए निर्धारित फीस के रूप में संलग्न है।

11 मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि उपरोक्त कथन सत्य है और मैं करार करता हूं कि वे मेरे को/हमें दिये जाने वाले परमिट की शर्तें हो सकती हैं

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर या
अंगुष्ठ चिन्ह

(जो लागू न हों, उस विकल्प को सब जगह काट दीजिये)

(परिवहन अधिकारी के कार्यालय में भरा जावेगा)

1. प्राप्ति का दिनांक .... रसीद सं. ....
2. रू. .... की राशि रसीद/चालान सं................. दि. .... द्वारा प्राप्त हुई।
3. दिनांक; जिसको आवेदन प्रा. प. प्रा. के सदस्य को प्रस्तुत किया गया ....
4. स्वीकृत्/अस्वीकृत दि. ....
5. जारी परमिट की संख्या ....

सचिव, परिवहन प्राधिकरण ....